

162.05 bigha in Posangipur and 33.09 bigha in Nangal Raya). Names of the colonies and number of houses covered will be established during later stages of acquisition proceedings.

(c) and (d) This will be awarded as per provisions of the Land Acquisition Act.

“गूजर समुदाय” के लोगों को जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए जम्मू और काश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्रियों द्वारा की गई सिफारिशें

2076. श्री रामचन्द्र विकल : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू और काश्मीर और हिमाचल प्रदेश दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने वहां रह रहे गूजर जाति के लोगों को जनजाति के लोग घोषित करने के लिए केन्द्रीय सरकार से सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय किया है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने अपना निर्णय दोनों राज्य सरकारों को सूचित कर दिया है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जम्मू और काश्मीर के मुख्य मंत्री ने गूजर समुदाय को जम्मू और काश्मीर में अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव किया है। हिमाचल प्रदेश में यह समुदाय समय-समय पर संशोधित संविधान के (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 के अनुसार [पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1960 की धारा 5 की उपधारा (i) में उल्लिखित क्षेत्रों को छोड़कर] पहले ही अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री तथा हिमाचल प्रदेश सरकार ने गूजरों को हिमाचल प्रदेश में वर्तमान प्रतिबंधित क्षेत्र सहित अनुसूचित

जनजातियों की सूची में ही रखे जाने का प्रस्ताव किया है।

(ख) उक्त प्रस्ताव पर अन्य ऐसे प्रस्तावों के साथ अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूचियों के प्रस्तावित विस्तृत संशोधन के संदर्भ में विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान सूचियों में कोई संशोधन संविधान के अनुच्छेद 341 (2) तथा 342 (2) को ध्यान में रखते हुए संसद के अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है।

(ग) इस मामले में अंतिम विचार सभी राज्य सरकारों से टिप्पणियां प्राप्त होने के पश्चात् किया जाएगा।

#### All India Radio Stations in Andhra Pradesh

2077. SHRI B. SATYANARAYAN-REDDY: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) what are the proposals for establishing new All India Radio Stations during the Seventh Five-Year Plan period in Andhra Pradesh; and

(b) what are the names of places which have been chosen and what criteria is applied in selecting the centres?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI V. N. GADGIL): (a) and (b) During the 7th Five-Year Plan (1985-90), it is proposed to set up new radio stations at seven centres in the State of Andhra Pradesh, as under:

Kottagudam, Tirupati, Warangal, Kurnool, Nizamabad, Markapuram and Anantpur.